पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका : धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में

(वर्ष 2010 ई से वर्तमान तक)

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

के सामाजिक विज्ञान संकाय (राजनीति विज्ञान विभाग) में

पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध

शोधार्थी

बलदेव कुमार महतो

पंजीयन संख्या :..................................

द्वारा

विश्वविधालय विभागः राजनीति विज्ञान (बि.बि.एम.के.यू. धनबाद)

शोध निदेशक

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सिंह

सहायक प्रध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग

बी.एस.सीटी कॉलेज बोकारो

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखण्ड

2023

परिचय

स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते है। लोकतंत्र की सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। इसे हमारे देश में लाने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। फिर इसके बाद भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई और यह सिलसिला भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भी जारी रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर काफी ज़ोर दिया था, उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को मज़बूत बनाना सत्ता को आम लोगों के हाथों में होना चाहिए। पंचायती राज पर कई समितियां गठित हुई जिसमें बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), जी. वी. के राव समिति (1985), एल. एम. सिंघवी समिति (1986), पी. के. थुंगन समिति (1989) इन सभी ने अपने अपने विचार दिये, परंतु त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है।[1] इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1993) के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(O) का प्रावधान किया गया है। इसमे पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया साथ ही महिलाओं को 1/3 (33%) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।[2] ग्राम पंचायत में पेसा एक्ट 1996 पंचायतों से संबंधित उपबंधो का विस्तार करने के लिये संसद ने 5वीं अनुसूची में शामिल जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रो पर 1996 में पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया था। संविधान की पांचवीं अनुसूची में दर्ज क्षेत्रों जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजाति समुदाय की है, जहां पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रो में विस्तार कानून लागू है। भारत में पेसा अनुपालन संबंधी राज्य में आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र आते हैं।[3] हमारे देश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति एंव सहभागिता उतनी अच्छी नही रही है। परन्तु महिलाओं की स्थिति में वर्तमान समय मे काफी सुधार हुआ है। क्योंकि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में महिलाओं के आरक्षण से स्थानीय स्वशासन में उनकी सहभागिता देखने को मिल रही है। इसी सुधार की स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा आधुनिक सूचना संचार प्रौधोगिकी में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को पता लगाने के उद्देश्य से इस शोध कार्य को बलियापुर प्रखण्ड में क्षैत्रिय शोध पद्धति के माध्य से इस शोध कार्य का संचालन किया जाएगा जिसके अर्न्तगत निम्नलिखित क्षेत्र तथा उसके वर्तमान प्रतिनिधियों का नाम शामिल है। जिसमे ग्राम पंचायत सचिवालयों की संख्या 23 है। इन पंचायतो में 23 मुखिया और 27 पंचायत समिति (सरपंच) तथा 3 जिला परिषद, 255 वार्ड सदस्ययों कि संख्या है।[4]

बलियापुर प्रखंड की वर्तमान तीन जिला परिषद निम्न है–

निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	निर्वाचित पद का नाम	निर्वाचित क्षेत्र का नाम
उषा महतो	जिला परिषद सदस्या	बलियापुर पूर्वी

स्वेता देवी	जिला परिषद सदस्या	बलियापुर मध्य
संजय महतो	जिला परिषद सदस्य	बलियापुर प0

वर्तमान 23 पंचायतो में से 12 महिला मुखिया प्रतिनिधि निर्वाचित हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है–

निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	निर्वाचित पद का नाम	निर्वाचित पंचायत का नाम
सुलोचना देवी	मुखिया	करमाटांड
रीना देवी	मुखिया	जगदीश
साथी देवी	मुखिया	प्रधानखंता
शांति देवी	मुखिया	पलानी
लक्ष्मी सिंह	मुखिया	चाँदकुयाँ
शान्तु देवी	मुखिया	अलकडीहा
रिंकू देवी	मुखिया	मुकुंदा
अंजना कुमारी	मुखिया	कुसमाटांड़
डोली हासंदा	मुखिया	छाताटांड
सदमुनी देवी	मुखिया	सिन्दुरपुर
सुनीता मल्लिक	मुखिया	दोलाबड़
कल्पना गोंराई	मुखिया	बाघमारा

23 पंचायत में 27 पंचायत समिति निर्वाचित हुए है जिसमे 4 पंचायतो में दो–दो समिति सदस्य चुने गए है, क्योंकि उन पंचायतो में क्षेत्र एंव आबादी ज्यादा है जो निम्न है–

- बाघमारा पंचायत
- पलानी पंचायत
- करमाटांड पंचायत
- परासबनिया पंचायत

बलियापुर प्रखण्ड में प्रमुख व उप प्रमुख महिला जनप्रतिनिधि चुनी गई है, जो निम्न है–

प्रतिनिधि का नाम	पद का नाम
पिंकी देवी	प्रखण्ड प्रमुख
आशा देवी	प्रखण्ड उप प्रमुख

साहित्य समीक्षा–

अब तक इस अध्ययन विषय पर अनेक लोगो द्वारा शोध किए गये है। इस अध्ययनो में ग्रामीण नेतृत्त्व और महिला सशाक्तिकण के विभिन्न आयामो को रेखांकित किया गया है। साथ ही

अध्ययन के अनेक बिन्दुओ को भी उजागर किया गया है। इन अध्ययनों की दिशा और स्वरूप निम्न बन्दुओं पर केन्द्रित रही है–

- कौशिक (1993) :" महिला और पंचायत राज " पर एक अध्ययन प्रस्तुत की जिसमे 73 वे संविधान संशोधन के बाद एक तिहाई स्थानो पर महिलाओं के आरक्षण के बाद यह विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया गया है।
- भार्गव (1979) : स्थानीय नेतृत्त्व संबंधी अपने पुस्तक में स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्वशासन के प्रमुख नेताओं एवं उच्च स्तर के नेतृत्त्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक संबंध विकसित हुए है, जिसके तहत स्थनीय का नेतृत्त्व उच्च स्तर के नेतृत्त्व के लिए वोट बैंक के रूप में उपयोगी हुआ है। इस प्रकार से खरीद फरोख की एक नई राजनीति प्रवृति प्रचलन में आया है।

- मिश्रा (1994) : अपनी पुस्तक में भारत में पंचायती राज के उदय एवं मेहता रिपोर्ट के अनुसार तीन राज्यों में पंचायती राज का तुलनात्मक विश्लेषण किया है उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कुछ प्रमुख समस्याओं को बताने के साथ साथ सुझाव भी दिए।

- गुहा (1996) : बदलते समाज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को अपने अध्ययन में प्रकाशीत किया है तथा वर्तमान दशको में बदलते हुए सामाजिक– राजनीतिक परिषद को महिला वर्ग के संदर्भ में विश्लेषित किया है।

- आप्टे (1996) : " भारतीय समाज मे नारी " विषय पर पुस्तक लिखी है। यह किताब ऋग्वेद से निरंतर वर्तमान समाज तक में नारी की स्थिति की व्याख्या करती है। इसमें बदलते सामाजिक परिदृश्य में महिलाओं की समस्याओं एंव शोषण के खिलाफ महिला संगठनों की भूमिका को उजागर किया है।

- डोगरा (2001) :अपनी लेख " सार्थक है महिलाओं का आरक्षण " में निर्वाचित महिलाओं पर पारिवारिक दबाव से उत्पन्न तनावों के बारे में लिखा है।

- शर्मा : " महिला आरक्षण की राजनीति " नामक शीर्षक में यह उजागर किया गया है कि महिलाओ को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से उनके सारे अधिकार सुरक्षित नही हो जाते है।

- कुमार एंव घोष (1996) : पश्चिम बंगाल में सम्पन्न हुए मई 1993 के पंचायत चुनावों का समीक्षा किया है। इस अध्ययन में चुनावों मे महिलाओं की सहभागिता एवं पंचायत राज संस्थाओं की कियान्वयन संदर्भ में दोनो महत्वपूर्ण पक्षों को सामिल किया है।

शोध समस्या –

- महिलाओं के पास जाकर साक्षात्कार करना आवश्यक है पर क्या वे पूछे गये प्रश्नो का जवाब स्वतंत्रता पूर्वक देंगी ?

- पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओं की अहम भुमिका है पर क्या उनके द्वारा लिए गये निर्णय उनके अपने है ?

- सरकारी आँकड़े प्राप्त करना एक कठीन प्रक्रिया होगी ?

शोध कार्य का उददेश्य –

- बलियापुर प्रखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था में सरकारी नीतियों के संदर्भ में महिलाओं की दृष्टिकोण को समझना है।

- पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओं द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में उनकी सहभागिता का अध्ययन करना।

- ग्रामीण विकास में महिला पंचायत प्रतिनिधियों का वर्तमान सूचना संचार प्रौधोगिकी के क्षेत्र में उनकी योग्यताओं का पता लगाना।

- पंचायती राज व्यवस्था में सरकार की नितियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना –

- बलियापुर प्रखण्ड के पंचायती राज में महिलाएँ अहम भूमिका निभा रही है।

- बलियापुर प्रखण्ड की महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था मे बढ़–चढ़ कर भाग ले रही है।
- बलियापुर प्रखंड की महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था के कार्यो को सुचारू रूप से करने में सूचना संचार प्रौधोगिकी की मदद ले रही है।

- पंचायती राज में सूचना संचार प्रौधोगिकी से महिलाओं की समाजिक विकास कार्य एवं भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

शोध विधि – इस शोध प्रस्तावना मे ऐतिहासिक, वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा।

शोध हेतू श्रोत

(1) प्राथमिक श्रोत –

- अवलोकन विधी
- साक्षात्कार
- प्रश्नावली
- सरकारी व प्रशासनिक दस्तावेज

(2) द्वितीय श्रोत –

- शोध पत्र
- संबंधित पुस्तके
- समाचार पत्र पत्रिकाएँ वेबसाइट, इंटरनेट

शोध कार्य का महत्व –

- प्रस्तावित शोध बलियापुर प्रखण्ड के पंचायती राज में महिलाओं को समाजिक–आर्थिक व राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगी।
- प्रस्तावित शोध द्वारा पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता को मजबूत करेगी।
- प्रस्तावित शोध कार्य द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक व विकास कार्य हेतू सूचना संचार प्रौधोगिकी से उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाएगी।
- प्रस्तावित शोध द्वारा सरकार की नीतियो एवं कार्यक्रमो का मूल्यांकन किया जाएगा ।

शोध सीमाएँ –

- इस शोध कार्य में आँकड़ो को इक्ट्ठा करने में खास कर प्रशासनिक एवं विभागीय कार्य पद्धति के विवरण को जुटाने में कई तरह की बाधाऐं आ सकती है।

- महिला प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आँकड़ो व उनके कार्य विवरण का मूल्यांकन करने में कठीनाईयाँ हो सकती है।

भविष्य के कार्य

- प्रस्तावित शोध बलियापुर प्रखण्ड की महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में भूमिका पर सरकार एंव प्रशासनिक पद पर आसिन व्यक्तियों को एक नया द्वष्टिकोण प्रदान करेगा।
- प्रस्तावित शोध के माध्यमों में भविष्य में शोध करने वाले शोधार्थी को मदद मिल सकती है।

अध्यायीकरण

- **प्रस्तावना**

प्रथम अध्याय : स्थानीय स्वशासन एंव पंचायती राज व्यवस्था

द्वितीय अध्याय : झारखंण्ड मे पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान स्थिति

तृतीय अध्याय : बलियापुर प्रखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, नैतृत्व,व चुनौतीयाँ

चतुर्थ अध्याय : बलियापुर प्रखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रभाव

पंचम् अध्याय : बलियापुर प्रखण्ड की महीलाओं के पंचायती राज व्यवस्था में सूचना संचार प्रौधोगिकी का प्रभाव

निष्कर्ष

संदर्भ सूची

1.. पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख समितियाँ

https://panchayat.gov.in

2. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

https://www.india.gov.in

3. पेसा एक्ट, 1996

https://panchayat.gov.in

4. धनंबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था

https://dhanbad.nic.in

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक, एस. (1993) : वुमन्स एंड पंचायती राज, हर आनन्द पब्लिकेशन, नई दिल्ली

2. भार्गव, बी. एस. (1979) : आशिष पब्लिकेशन हाउस, कर्नाटक, (इंडिया)

3. मिश्रा, एस. (1994) : भारत मे पंचायती राज मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

4. गुहा, एस. (1996) : इंटर इंडिया पब्लिकेशन नई दिल्ली

5. आप्टे, पी. (1996) : क्लासिक पब्लिशिंग हाउस जयपुर

6. मेहता, बि. आर. (1957) : कमेटी रिपोर्ट

7. नारायण, जे. (1961) : स्वराज फॉर दी पीपुल,वाराणसी, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, 7–8

8. डे, एस. के. (1969) : पंचायती राज , सिंथेसिस ओरियंड लांगमेंन , हैदराबाद

9. दुबे, डी. (1997) : संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से सत्ता का विकेंद्रीकरण , कुरूक्षेत्र, 20

10. ठाकुर, एस. (2007) : बिहार एंव झारखण्ड मे पंचायती राज व्यवस्था, जानकी प्रकाशन

11. खन्ना, बी. एस (1954) : पंचायती राज इन इंडिया, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, नई दिल्ली, दीप एंड दीप पब्लिकेशन

12. वर्मा, बी. एम (1994) : रूरल लीडरशीप इन ए वेलफयर सोसाइटी, मित्तल पब्लिकेशन नई दिल्ली